बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (गोपालगंज) 02–102/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री राज नारायण राजा, अंचल अधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–1444/रा0, दिनांक–17.04.2026 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय निदेश के विपरीत कार्य करते हुए दाखिल–खारिज के चार आवेदनों को अधिक अवधि तक लंबित रखे जाने/बार–बार स्मारित किये जाने के बावजूद भी कारण पृच्छा समर्पित नहीं करने जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित किया गया।

2. गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–839(15), दिनांक–16.06.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री राजा द्वारा अंचल कार्यालय, हथुआ(गोपालगंज) के पत्रांक–1236, दिनांक–06.07.2026 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. गठित आरोपों एवं समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन के परिशीलन/समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री राजा के विरूद्ध कुल चार दाखिल खारिज वादों यथा–2764/2023–24, 3379/2023–24, 655/2024–25, 1089/2024–25 के लंबित रखने का कोई ठोस कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है। बचाव का लिखित अभिकथन में श्री राजा द्वारा अंकित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–18.01.2025 को अंचल अधिकारी, हथुआ के रूप में प्रभार ग्रहण किया गया तथा विलंब के कारण के रूप में तकनीकी समस्या को इंगित किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु उनके द्वारा दिनांक–10.02.2026 को एक साल विलंब से आई.टी. प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि–सुधार विभाग से पत्राचार किया गया है, जिसके निराकरण के उपरांत दाखिल खारिज वाद का निष्पादन किया जा सका। दाखिल खारिज वादों को निर्धारित अवधि के दौरान निष्पादित नहीं करने पर समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा दिनांक–22.12.2025 को श्री राजा से स्पष्टीकरण की माँग की गई, परंतु उनके द्वारा समाहर्त्ता, गोपालगंज को ससमय जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए प्रश्नगत् लंबित दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन हेतु समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है, कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासिनता एवं लापरवाही बरती गई है। अथवा किसी अन्य संदिग्ध मंशा से प्रश्नगत् दाखिल खारिज वादों को लंबित रखा गया एवं एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत निष्पादित किया गया। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का बचाव का लिखित अभिकथन (स्पष्टीकरण) स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. अतः श्री राजा से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन (स्पष्टीकरण) स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने, आरोप की प्रकृति एवं विभागीय समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजा को **"संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

कु0पृ0उ0

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजनारायण राजा, अंचल अधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के निमय–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–**15/आरोप (गोपालगंज) 02–102/2026**– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गोपालगंज (पत्रांक–1444/रा0, दिनांक–17.04.2026 के प्रसंग में)/ कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री राजनारायण राजा, अंचल अधिकारी, हथुआ, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (गोपालगंज) 02–102/2026**–2064 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–05/11/2026

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री राजा के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

04/11/26
(संजय कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।